



## सैदपुर तहसील में साक्षरता

**अनुल कुमार सिंह**

असि० प्रोफे०-भूगोल विभाग, पी०जी० कालेज, गाजीपुर (उ०प्र०) भारत

Received- 05.08.2020, Revised- 09.08.2020, Accepted - 13.08.2020 E-mail: nnurai321@gmail.com

**सारांश :** पढ़ने और लिखने की कला के विकास से पूर्व के समाज का वर्गीकरण साक्षरता पूर्व सांस्कृतिक अवस्था में किया जाता। साक्षरता पूर्व अवस्था से साक्षरता अवस्था में परिवर्तन 4000 ईप्प० प्रारम्भ हुआ जो चित्रकारकी विद्या से प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे वर्ग विद्या में पहुंचा। (गोल्डन 1988) लिखने और पढ़ने की विद्या के विकास के पश्चात सांस्कृतिक प्रगति में साक्षरता का महत्व बढ़ गया। यही कारण है कि जनसंख्या भूगोल में साक्षरता को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का एक विश्वसनीय सूचक माना जाता है। साक्षरता का गरीबी उन्मूलन, मानसिक एकाकीपन का समाप्तिकरण शान्तिपूर्ण तथा भाईबन्धु वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्माण और जनसांख्यिकीय प्रक्रिया के स्वतंत्र क्रियाशील में भारी महत्व है। (चान्दना और सिद्ध 1980) असाक्षरता के कारण मानव का स्वाभिमान गिरता है। अज्ञानता बढ़ती है गरीबी और मानसिक एकाकीपन आता है। शान्तिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, आर्थिक विकास एवं राजनैतिक प्रौद्योगिकी में अवरोध आता है।

**कुंजीभूत शब्द- अवस्था, साक्षरता, जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक, विश्वसनीय सूचक, गरीबी उन्मूलन, शान्तिपूर्ण।**

साक्षरता का अन्य जनसांख्यिकीय लक्षणों जैसे उत्पादकता, मर्यादा, परिसंरण, व्यवसाय आदि पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए साक्षरता प्रतिरूप समाज के सामाजिक आर्थिक विकास की गति के सूचक है। अतः एक जनसंख्या भूगोलविद् के लिए साक्षरता प्रवृत्ति एवं प्रारूप का विश्लेषण अति महत्वपूर्ण है। साक्षरता की संकल्पना का तात्पर्य न्यूनतम साक्षरता निपुणता से है जो एक देश से दूसरे देश से भिन्न है। निम्नतम साक्षरता स्तर की भिन्नता मौखिक रूप से विचार विनिमय से लेकर विभिन्न प्रकार की कठिन परिकल्पनाओं तक मानी जाती है। कभी-कभी विद्यालयी शिक्षा अवधिके आधार पर साक्षरता व असाक्षरता का निर्धारण किया जाता है। (ट्रिवार्था 1969) विद्यालयी शिक्षा आधार पर शिक्षा निर्धारण के पक्ष में नहीं है। साथ ही व देश की प्रचलित भाषा में नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता के आधार पर साक्षरता निर्धारण के पक्ष में भी नहीं है। सन् 1930 में फिनलैण्ड में साक्षरता निर्धारण के लिए सबसे कठिन परिभाषा को अपनाया गया। केवल उन लोगों को साक्षर माना गया जो कठिन प्रश्नों का हल कर सकते थे। जो उनमें असफल रहे उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया।

(1) अर्द्ध शिक्षित जो लिख पढ़ सकते थे पर वर्णात्मक गलतियाँ करते थे।

(2) अशिक्षित जो न लिख सकते थे और न ही पढ़ सकते थे।

(यूनेस्को 1957) इसके विपरीत सन् 1961 ई हांगकांग जनगणना में कोई भी व्यक्ति जो यह कहता था कि वह कोई एक भाषा पढ़ सकता है उसके लिए यह अनुमान कर लिया गया कि वह लिख भी सकता है तथा

उसे साक्षर माना गया। गणक को दी गयी सूचना के आधार पर साक्षरता दर उन्मत तो अवश्य होगी पर जबाब देने वाले को अधिक प्रश्नों के उत्तर देने में उलझाना भी उचित नहीं समझा गया। (डेविस 1951) इस कारण जनगणना गणक के लिए उत्तर को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। पर प्रश्नों को इस ढंग से बनाया जा सकता है जिसमें अधिक सही उत्तर उपलब्ध हो सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग ने किसी भी भाषा में साधारण संदेश को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता को साक्षरता निर्धारण का आधार माना है। भारतीय जनगणना ने इस परिभाषा को स्वीकार किया और धीरे-धीरे अन्य देश भी इसे मान रहे हैं।

यदि यह मान लिया जाए कि किसी भाषा के साथ लिखने और पढ़ने की योग्यता ही साक्षरता की परिभाषा है तो गणकों द्वारा सही आंकड़ों का संग्रह कठिन समस्या नहीं होगी पर साक्षर और शिक्षित में अंतर किया जा सकता है, जैसा कि भारत में किया जाता है। वे सभी व्यक्ति जो लिखने पढ़ने की योग्यता के आधार पर साक्षर माने जाते हैं। उन्हें विद्यालयी शिक्षा की अवधि के आधार पर पुनः उप श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरताप्रारूप की तुलना में आंकड़ों की कुछ समस्या है। प्रथमतः जिस देशों में जनगणना नियमित ढंग से की जाती है। उनकें सभी देशों में साक्षरता आंकड़ों का संग्रह नहीं होता। पर साक्षरता के बढ़ते महत्व के कारण ऐसे देशों की संख्या जो साक्षरता सम्बन्धी आंकड़े संग्रहीत नहीं करते हैं। दूसरे साक्षरता का आधार भिन्न-भिन्न देशों सदृश्य नहीं है। साक्षरता आंकड़ों की तृतीय समस्या विविध सारणी



व पद्धति है। कुछ देशों में साक्षरता के आंकड़े पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को समाहित करके प्रदर्शित होते हैं तो कुछ देशों में उन्हें समाहित नहीं किया जाता है और उन्हें असाक्षर माना जाता है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ 10 वर्ष की आयु तक लोगों को समाहित नहीं किया जाता है। उनका तर्क कि 5 वर्ष के विद्यार्थी शिक्षा के पश्चात ही कोई व्यक्ति पर्याप्त निपुणता के साथ साक्षर हो सकता है। इस विचार को गलत कह पाना कठिन है। अच्छा तो यह होगा कि विश्व के सभी राष्ट्र साक्षरता आंकड़ों की सारणी से 10 वर्ष में कम आयु के लोगों को समिलित न करें। इससे अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में सरलता होगी। साक्षरता को परिमाणित करना अधिक कठिन कार्य है क्योंकि विश्व के विभिन्न भागों में इसके निर्धारण के निमित्त विविध मापदण्ड प्रयोग में लाये जाते हैं (ओझा 1983) साक्षरता किसी देश के आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और प्रजातांत्रिक स्थायित्व के लिए आवश्यक है। (चान्दना 1980) किसी भी क्षेत्र विशेष की अर्थ व्यवस्था का उसकी साक्षरता तथा साक्षरता का क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। (गोसल 1969) इसी कारण ये प्रधान अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में न्यून साक्षरता पायी जाती है। उच्च जीवन स्तरीय परिवारों में साक्षरता अधिक पायी जाती है जिस परिवार के रहन-सहन का स्तर उत्तम होता है बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत निम्न रहन-सहन स्तर वाले परिवारों में साक्षरता दर निम्न होती है। क्योंकि ये सघनविहिन होते हैं। उनमें परिवार के सभी सदस्य कार्य करने अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

**साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक-** यदि साक्षरता को सम्य और आदिम समाज में विभेद का आधार मान लिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास का स्तर और साक्षरता प्रतिरूप एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित हैं। अर्थात् साक्षरता के विसरण एक राष्ट्रीय भावी आर्थिक विकास के मध्य उच्च धनात्मक सहसम्बन्ध है। इसके विपरीत साक्षरता का अल्प प्रसार भावी आर्थिक विकास हेतु बाधा का कार्य होता है। (डेविस 1955) वस्तुतः साक्षरता की वृद्धि और प्रसार क्षेत्र के सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक अन्तप्रक्रिया का परिणाम है जिनमें निम्न मुख्य हैं—

- (i) अर्थव्यवस्था का प्रकार
- (ii) नगरीकरण का स्तर
- (iii) जीवन स्तर
- (iv) जातिय संरचना
- (v) समाज में स्त्रियों की स्थिति
- (vi) मूल्य प्रणाली
- (vii) शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता

(viii) यातायात व संचार साधनों का विकास  
(ix) तकनीकी विकास का स्तर और  
(x) सार्वजनिक नीति

साक्षरता को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों के क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था का प्रकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। वर्तमान समय में ये विशेष अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में साक्षरता का स्तर में धनात्मक सह सम्बन्ध मिलता है। यह वास्तविक तथ्य है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में आज भी वास्तविक आवश्यकतानुसार ही साक्षरता की प्रवृत्ति निर्धारित होती है।

साक्षरता को निर्धारित करने वाले करकों में अर्थव्यवस्था से निकट सम्बन्धित नगरीकरण का स्तर भी प्रमुख है। उच्च नगरीत देशों तथा क्षेत्रों में साक्षरता भी अधिक है क्योंकि नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र भिन्न आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थायुक्त होते हैं। जहाँ पर एक ओर ग्रामीण ये अर्थव्यवस्था में अल्पसाक्षरों की ही आवश्यकता पड़ती है दूसरी ओर नगरीय क्रियाकलापों में विभिन्न स्तर के साक्षर व तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विविध क्रियाकलापों में पारिवारिक रूप से बच्चे भी सहायता करते हैं और शिक्षा से विमुख हो जाते हैं जबकि नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक कार्यों में बच्चों के लिए कोई अवसर नहीं रहता है। वे सुविधानुकूल शिक्षा प्राप्त करते हैं।

जीवन स्तर एवं साक्षरता में भी धनात्मक सह सम्बन्ध हैं जिस क्षेत्र में जीवन स्तर निम्न है। प्रायः वहाँ साक्षरता दर भी निम्न होती है। यद्यपि दोनों में अन्तर्सम्बन्धजन्य अध्ययन कठिन हो सकता है। सामान्यतः निम्न जीवन स्तर के परिवारों में शैक्षणिक सुविधा के अभाव के फलस्वरूप स्वयं बच्चे आर्थिक उन्नयन के साधन बन जाते हैं।

विभिन्न जातियों एवं नगरों में विभक्त समाज में साक्षरता उनकी अपनी विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है। क्योंकि सामाजिक-आर्थिक-वंशानुगत के फलस्वरूप किसी को शिक्षा की अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। वर्तमान जागरूकता के समय में विभिन्न जातियों में प्रतिद्वन्द्विता के परिणाम स्वरूप सभी में साक्षरता की दर बढ़ रही है।

समाज में स्त्रियों की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत भी प्रभावित होता है क्योंकि विकासशील तथा पिछड़े राष्ट्रों एवं मुस्लिम देशों में स्त्रियों के निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनमें पहले से ही अल्प साक्षरता रही है। इसके विपरीत इसाई समुदाय में स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत उच्च रहा है।

भारत जैसे अनेक विकासशील देशों में साक्षरता



का कम होना शैक्षणिक सुविधा का अभाव, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक केन्द्रों का नगरों में केन्द्रीयकरण और शिक्षा का व्यवसाय होना है। यातायात एवं संचार साधनों का अत्यविस्तार भी विकासशील समाज में ग्रामीण क्षेत्रों को अलग—अलग कर देता है। जिससे नवाचारों का विस्तार दूर—दूर तक नहीं हो जाता है। ग्रामीण समाज नव चेतना विहिन हो जाता है। और दूसरी ओर ग्रामीण जनसंख्या परम्परागत व्यवधानों के कारण दूर नगरों में शिक्षा के लिए नहीं आ पाती है। इसके अतिरिक्त तकनीकी विकास वाले देशों में शिक्षा का स्तर क्रमशः अधिक एवं ऊँचा हो जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में विभिन्न तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है। साक्षरता स्तर में वृद्धि अपरिहार्य हो जाती है।

अन्त में प्रशासकीय नीतियाँ भी साक्षरता की वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा की मुक्त, व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम साक्षरता—वृद्धि में सहायक होते हैं।

भारत में छठवें दशक के बाद विभिन्न वर्गों हेतु छात्रवृत्तियों आर्थिक सहायता एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रसार के कारण साक्षरता में पर्याप्त वृद्धि देखी गयी है। इस प्रकार साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों और साक्षरता स्तर के वितरण—प्रतिरूप के ज्ञानार्थ किसी की जनसंख्या समूह की सामाजिक आर्थिक इतिहास का अध्ययन करना और उसमें कारणों को ढूँढ़ना जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं हेतु आवश्यक है।

**साक्षरता का स्थानीय वितरण प्रतिरूप— साक्षरता की दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र विपन्न है क्योंकि 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर लोग साक्षर थे। जबकि 2001 में 52.4 प्रतिशत लोग साक्षर हो गये। परन्तु साक्षरता**

का प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता की दर 65.35 प्रतिशत और प्रदेश की साक्षरता दर 56.31 प्रतिशत का अनुशरण नहीं करती। 2001 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की सर्वाधिक साक्षरता सैदपुर नगर न्याय पंचायत में पायी गयी है। जबकि न्यूनतम साक्षरता मंगारी न्याय पंचायत की थी। स्पष्ट होता है कि 1991 में सैदपुरनगर, सुजनीपुर, कटघरा, कनेरी, धरवां, खानपुर, नारीपचदेवा, वासूपुर, भीमापार, पिपनार, देवकली, सिरगिथा, पहाड़पुर, विशुनपुर, मुडियार, भदौला, गोरखा आदि न्याय पंचायतें उच्च साक्षरता वाली न्याय पंचायतें थीं। जहाँ पर साक्षरता प्रतिशत 35 से अधिक था।

सरायगोकुल, गरीब पट्ठी उर्फ मई, धुग्रार्जन, भितरी, डढ़वल, सिघौना, मौधा, बेलहरी, उचौरी, रामपुर, सौना, रावल, मिर्जापुर आदि न्याय पंचायते भी। जहाँ पर 25 से 30 प्रतिशत के मध्य साक्षरता पायी जाती है। मंगारी, मौदि आया, तुरनों, बूढ़नपुर, हसनपुर, बरहपुर आदि न्याय पंचायते भी जहाँ 25 प्रतिशत से कम साक्षरता पायी जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार 11 न्याय पंचायत उच्चतम श्रेणी के अंतर्गत आती है यहाँ साक्षरता प्रतिशत 55प्रतिशत से अधिक है। कटघरा, सुरहरपुर, कनेरी, भीमापार, देवकली, बूढ़नपुर, सौना, मौधा, सिघौना, गोरखा, सैदपुर नगर आदि तथा मौधिया, पिपनार, मिर्जापुर, बासूपुर, तुरनों, धरवां, पहाड़पुर, देवचन्दपुर, डढ़वल, नायक, उचौरी, विशुनपुर मथुरा, भदौला आदि न्याय पंचायते मध्यम साक्षरता वाली न्याय पंचायतें हैं जहाँ पर 45 से 55 प्रतिशत के मध्य साक्षरता पायी जाती है। सरायगोकुल, गरीब पट्ठी उर्फ मई, मंगारी, धुग्रार्जन, सिरगिथा, भितरी, नारी पचदेवा, बरहपुर, हसनपुर, बेलहरी आदि न्याय पंचायते निम्नतम साक्षरता वाली न्याय पंचायतें हैं। जहाँ पर 45 प्रतिशत से कम साक्षरता पायी जाती है।

\*\*\*\*\*